

-कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल, म.प्र.-

(Email ID-deo.mped@mp.gov.in, Phone No.0755-2540771)

क्रमांक/आब./ठेका/2025-26/1022

प्रति,

सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल, दिनांक/01.04.2026

प्रबंधक

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

एम.पी.नगर, जोन-2, भोपाल

विषय :-

साउथवर्क ट्रेडर्स एल.एल.पी. लायसेंसी, मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-4 (BPL-04) वर्ष 2025-26 के नाम से जारी प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत ई-बैंक गॉरन्टी क्रमांक 0579325BG0Y00148 रुपये 19,07,37,000/- के विरुद्ध रुपये 8,36,55,421/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने बाबत।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि साउथवर्क ट्रेडर्स एल.एल.पी. जिला-भोपाल के मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-4 (BPL-04) के वर्ष 2025-26 के लायसेंसी है। साउथवर्क ट्रेडर्स एल.एल.पी. द्वारा उक्त समूह हेतु प्रतिभूति के रूप में आपके बैंक द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त, जिला-भोपाल के पक्ष में जारी ई-बैंक गॉरन्टी 0579325BG0Y00148 राशि रुपये 19,07,37,000/- वैधता अवधि 30.04.2026 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-4 (BPL-04) की माह मार्च 2026 की प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि रुपये 8,23,64,069/- एवं जुमाने की राशि रुपये 12,91,352/- (अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी पर डिफाल्टर राशि+विभागीय प्रकरणों पर अधिरोपित संधान राशि) इस प्रकार कुल रुपये 8,36,55,421/- संबंधित के द्वारा जमा न करने से शासन राजस्वहित में उक्त राशि आपके द्वारा जारी बैंक गॉरन्टी से वसूल की जाना है। उक्त ई-बैंक गॉरन्टी इस कार्यालय के UIN No. NCMGP2309I, NESL Portal से आपकी ओर **Invocation/Partial Invocation** हेतु भेजी गई है।

उक्त बैंक गारन्टियों की राशियों में से रुपये 8,36,55,421/- (रुपये-आठ करोड़ छत्तीस हजार पचपन हजार चार सौ इक्कीस मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहायक आबकारी आयुक्त, जिला-भोपाल के पक्ष में शासन राजस्वहित में अविलम्ब जारी कर इस कार्यालय में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक श्री नीरज दुबे को प्रदान करें।

श्री नीरज दुबे, आबकारी उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर निम्नानुसार प्रमाणित है :-

1.

2.
(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

(वीरेंद्र सिंह धर्मकुंड)
सहायक आबकारी आयुक्त
जिला-भोपाल
भोपाल, दिनांक/01.04.2026

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/2025-26/1022
प्रतिलिपि:-

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. श्री नीरज दुबे, आबकारी उपनिरीक्षक, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित बैंक से संपर्क कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित लायसेंसी, मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-4 (BPL-04), भोपाल वर्ष 2025-26 की ओर सूचनार्थ।

02/04/26

(.....)
सहायक आबकारी आयुक्त
जिला-भोपाल

-कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल, म.प्र.-

(Email ID-deo.mped@mp.gov.in, Phone No.0755-2540771)

क्रमांक / आब. / ठेका / 2026-27 / 1019

प्रति,

सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल, दिनांक / 01.04.2026

प्रबंधक

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

एम.पी.नगर, जोन-2, भोपाल

विषय :-

कैटबरी ट्रेडर्स एल.एल.पी. लायसेंसी, मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-1 (BPL-01) वर्ष 2025-26 के नाम से जारी प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत ई-बैंक गॉरन्टी क्रमांक 0579325BG0Y00149 रुपये 23,79,00,000/- तथा ई-बैंक गॉरन्टी क्रमांक 0579325BG0Y00127 राशि रुपये 3,07,90,000/- के विरुद्ध रुपये 25,28,81,511/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने बाबत।

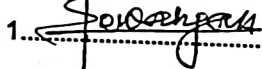
-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कैटबरी ट्रेडर्स एल.एल.पी. जिला-भोपाल के मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-1 (BPL-01) के वर्ष 2025-26 के लायसेंसी है। कैटबरी ट्रेडर्स एल.एल.पी. द्वारा उक्त समूह हेतु प्रतिभूति के रूप में आपके बैंक द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त, जिला-भोपाल के पक्ष में जारी ई-बैंक गॉरन्टी 0579325BG0Y00149 राशि रुपये 23,79,00,000/- वैधता अवधि 30.04.2026 तक तथा बैंक गॉरन्टी क्रमांक 0579325BG0Y00127 राशि रुपये 3,07,90,000/- वैधता अवधि 30.04.2026 इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-1 (BPL-01) की माह मार्च 2026 की प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि रुपये 24,36,34,315/- एवं जुर्माने की राशि रुपये 92,47,196/- (अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी पर डिफाल्टर राशि+विभागीय प्रकरणों पर अधिरोपित संधान राशि) इस प्रकार कुल रुपये 25,28,81,511/- संबंधित के द्वारा जमा न करने से शासन राजस्वहित में उक्त राशि आपके द्वारा जारी बैंक गॉरन्टी से वसूल की जाना है। उक्त ई-बैंक गॉरन्टी इस कार्यालय के UIN No. NCMGP2309I NESL Portal से आपकी ओर **Invocation/Partial Invocation** हेतु भेजी गई है।

उक्त बैंक गारन्टियों की राशियों में से रुपये 25,28,81,511/- (रुपये-पच्चीस करोड़ अठ्ठाईस लाख इक्यासी हजार, पाँच सौ ग्यारह मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहायक आबकारी आयुक्त, जिला-भोपाल के पक्ष में शासन राजस्वहित में अविलम्ब जारी कर इस कार्यालय में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन को प्रदान करें।

श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर निम्नानुसार प्रमाणित है :-

1. 

2. 

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

(वीरेन्द्र सिंह धाकड़)

सहायक आबकारी आयुक्त

जिला-भोपाल

भोपाल, दिनांक / 01.04.2026

पृ. क्रमांक / आब. / ठेका / 2025-26 / 1020

प्रतिलिपि:-

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित बैंक से संपर्क कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित लायसेंसी, मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-1 (BPL-01), भोपाल वर्ष 2025-26 की ओर सूचनार्थ।



सहायक आबकारी आयुक्त

जिला-भोपाल

-कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल, म.प्र.-

(Email ID-deo.mped@mp.gov.in, Phone No.0755-2540771)

क्रमांक/आब./ठेका/2026-27/1023
प्रति,

सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल, दिनांक/01.04.2026

प्रबंधक
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
एम.पी.नगर, जोन-2, भोपाल

विषय :- रिचमंडशार्इन ट्रेडर्स एल.एल.पी. लायसेंसी, मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-2 (BPL-02) वर्ष 2025-26 के नाम से जारी प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत ई-बैंक गॉरन्टी क्रमांक 0579325BG0Y00163 रुपये 29,00,00,000/- के विरुद्ध रुपये 28,73,67,165/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने बाबत।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि रिचमंडशार्इन ट्रेडर्स एल.एल.पी. जिला-भोपाल के मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-2 (BPL-02) के वर्ष 2025-26 के लायसेंसी है। रिचमंडशार्इन ट्रेडर्स एल.एल.पी. द्वारा उक्त समूह हेतु प्रतिभूति के रूप में आपके बैंक द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त, जिला-भोपाल के पक्ष में जारी ई-बैंक गॉरन्टी 0579325BG0Y00163 राशि रुपये 29,00,00,000/- वैधता अवधि 30.04.2026 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-2 (BPL-02) की माह मार्च 2026 की प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि रुपये 27,59,91,713/- एवं जुमाने की राशि रुपये 1,13,75,452/- (अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी पर डिफाल्टर राशि+विभागीय प्रकरणों पर अधिरोपित संधान राशि) इस प्रकार कुल रुपये 28,73,67,165/- संबंधित के द्वारा जमा न करने से शासन राजस्वहित में उक्त राशि आपके द्वारा जारी बैंक गॉरन्टी से वसूल की जाना है। उक्त ई-बैंक गॉरन्टी इस कार्यालय के UIN No. NCMGP2309I NESL Portal से आपकी ओर **Invocation/Partial Invocation** हेतु भेजी गई है।

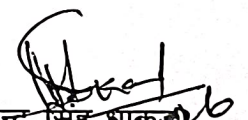
उक्त बैंक गारन्टियों की राशियों में से रुपये 28,73,67,165/- (रुपये-अठ्ठाईस करोड़ तेहत्तर लाख सठसठ हजार एक सौ पैसठ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहायक आबकारी आयुक्त, जिला-भोपाल के पक्ष में शासन राजस्वहित में अविलम्ब जारी कर इस कार्यालय में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती प्रीति शैलेन्द्र उईके को प्रदान करें।

श्रीमती प्रीति शैलेन्द्र उईके, सहायक जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर निम्नानुसार प्रमाणित है :-

1.....

2.....

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)


(वीरेन्द्र सिंह शर्मा)
सहायक आबकारी आयुक्त
जिला-भोपाल

भोपाल, दिनांक/01.04.2026

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/2025-26/1024
प्रतिलिपि:-

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. श्रीमती प्रीति शैलेन्द्र उईके, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित बैंक से संपर्क कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित लायसेंसी, मदिरा समूह, भोपाल समूह क्रमांक-2 (BPL-02), भोपाल वर्ष 2025-26 की ओर सूचनार्थ।




सहायक आबकारी आयुक्त
जिला-भोपाल